राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांकः प4(1)वित्त/आबकारी/2016 जयपुर, दिनांकः 18.02.2016

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान उदयपुर।

विषयः आबकारी एवं मद्य–संयम नीति वर्ष 2016–17 के निर्धारण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा, आबकारी एवं मद्य–संयम नीति वर्ष 2016–17 निम्नानुसार निर्धारित की गई हैः–

(1) अवधि :–

आगामी आबकारी बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष (दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक) होगी।

(2) बन्दोबस्त की प्रणाली :–

वर्ष 2016–17 हेतु देशी मदिरा, भा.नि.वि. मदिरा/बीयर, भांग का बन्दोबस्त निम्न प्रणाली अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

2.1 देशी मदिरा के अनुज्ञापत्र समूहवार एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली पर आवंटित किये जायेंगे।

2.2 भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के खुदरा अनुज्ञापत्र दुकानवार निश्चित वार्षिक लाईसेन्स फीस पर आवंटित किये जायेंगे।

2.3 भांग समूह का निविदायें आमंत्रित कर बन्दोबस्त किया जायेगा।

(3) देशी मदिरा :–

3.1 बन्दोबस्त की प्रकिया :–

वर्ष 2016–17 हेतु निश्चित वार्षिक राशि पर नये आवेदन आमंत्रित कर बन्दोबस्त किया जायेगा। देशी मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगें जिन्हें विभागीय वेबसाईट के अलावा आवेदन पत्र के साथ भी उपलब्ध कराया जायेगा।

3.1.1 जिन समूहों हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे, ऐसे समूहों के लिये पूर्व व्यवस्था अनुरूप जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष लाटरी निकाली जाकर सफल आवेदक का चयन किया जायेगा। एक व्यक्ति को एक समूह से अधिक समूहों का आवंटन नही किया जायेगा।

3.1.2 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा DBCW12547/2012 राजेन्द्र नारायण माथुर बनाम राजस्थान स्टेट एवं अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2015 के अनुसार राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर राज्य में देशी मदिरा की दुकानों की लोकेशन 150 मीटर की दूरी पर रहेगी। उक्त व्यवस्था उपरोक्त रिट याचिका के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

3.2 समूहों का गठन :–

वर्तमान में 6602 देशी मदिरा दुकानों (डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों की 58 दुकानों/समूहों को छोड़कर जिनके सम्बन्ध में विवरण बिन्दू संख्या 3.11 में उपलब्ध है) के पंचायतवार/नगरपालिका वार्डवार समूह बनाये गये हैं। दुकानों की संख्या को यथावत रखा गया है। शहरी क्षेत्र की सीमा में वृद्धि, वार्ड की सीमाओं में परिवर्तन एवं वर्तमान में रिक्त वार्ड/ग्राम पंचायत को समूह के क्षेत्र में शामिल करने, जिले के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में एक से अधिक दुकानों वाले समूहों को तोड़कर रिक्त पंचायतों में नये समूहों का गठन एवं क्षेत्रवार मदिरा खपत की प्रवृति को दृष्टिगत करते हुये यथा सम्भव जनसंख्या के अनुपात में दुकानों के वितरण हेतु मदिरा समूहों के क्षेत्रों का पुर्ननिर्धारण एवं तद्नुसार वार्षिक राशि का विवेकीकरण आबकारी आयुक्त, वित्त विभाग की अनुमति से कर सकेगें। देशी मदिरा समूहों का उपरोक्तानुसार पुर्नगठन आबकारी आयुक्त के स्तर पर किया जायेगा परन्तु देशी मदिरा की दुकानों की संख्या को यथावत (6660) रखा जायेगा।

3.3 आवेदन शुल्क :–

देशी मदिरा समूहों हेतु आवेदन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:–

श्रेणी	आवेदन शुल्क (रूपये)
वर्ष 2016–17 के लिए 10 लाख रूपये तक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	15,000/–
वर्ष 2016–17 के लिए 10 लाख रूपये से अधिक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	20,000/–

3.3.1 अमानत राशि (Earnest Money) : देशी मदिरा समूह के लिये आवेदन के साथ सम्बन्धित प्रत्येक दुकान के लिये वर्ष 2016–17 हेतु निर्धारित वार्षिक राशि की **दो प्रतिशत** राशि अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। अनुज्ञापत्र हेतु

चयनित आवेदक द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि को धरोहर राशि पेटे समायोजित किया जायेगा। असफल आवेदकों द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि सम्बन्धित आवेदक को लौटा दी जायेगी।

3.3.2 वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समूह का पुनः बन्दोबस्त किये जाने की स्थिति में संबंधित समूह की एकाकी विशेषाधिकार राशि का पुनः निर्धारण वर्ष की शेष अवधि अनुसार अनुपातिक आधार पर किया जायेगा।

3.4 वार्षिक राशि (एकाकी विशेषाधिकार राशि का निर्धारण) :–

वर्ष 2016–17 की समूहवार वार्षिक राशि निर्धारित किये जाने हेतु वर्ष 2015–16 की वार्षिक राशि में वर्ष 2015–16 के प्रथम 9 माह की एकाकी विशेषाधिकार राशि से अतिरिक्त उठाव की प्रतिशत वृद्धि को इसमें शामिल की जाकर, एनुलाईज कर इस राशि में 18 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी, परन्तु जिस समूह में वर्ष 2015–16 के प्रथम 9 माह मे निर्धारित राशि से अतिरिक्त उठाव नही हुआ है अथवा वास्तविक उठाव निर्धारित राशि से कम है तो ऐसे समूह की वर्ष 2016–17 की वार्षिक राशि की गणना वर्ष 2015–16 की वार्षिक राशि में 18 प्रतिशत की वृद्धि करके की जावेगी।

उदाहरण : (वास्तविक उठाव राशि निर्धारित राशि से अधिक होने पर)		
1.	समूह की वर्ष 2015–16 की वार्षिक राशि	रू. 10,000/–
2.	वार्षिक पूर्ति योग्य राशि	रू. 10,000/–
3.	9 माह की पूर्ति योग्य राशि	रू. 7,500/–
4.	9 माह में वास्तविक पूर्ति की गई राशि	रू. 8625/–
5.	प्रथम 9 माह में गारंटी राशि के विरूद्ध अधिक उठाव का प्रतिशत	$\frac{(8625 - 7500)}{7500} \times 100 = 15\%$
6.	अधिक उठाव की प्रतिशत बढ़ोतरी	15%
7.	वर्ष 2015–16 के अतिरिक्त उठाव के कारण की जाने वाली वृद्धि	रू. 10,000 x 115% = रू. 11,500/–
8.	इस राशि में 18 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के बाद समूह की वर्ष 2016–17 की वार्षिक राशि	रू. 11500 x 118% = 13570/–

देशी मदिरा समूहों के पुर्नगठन के मामलों में सम्बन्धित जिले के समूहवार 9 माह के अतिरिक्त उठाव की प्रतिशत वृद्धि को वर्ष 2015–16 की वार्षिक राशि में जोड़कर एवं जिन समूहों में अतिरिक्त उठाव नहीं है उनके वर्ष 2015–16 की वार्षिक राशि तथा इस प्रकार संगणित कुल राशि के योग में 18% की वृद्धि करके जिले की वार्षिक राशि की गणना की जाकर विवेकीकरण के आधार पर समूहवार वार्षिक राशि निर्धारित की जाएगी। उक्त कार्यवाही का अनुमोदन आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

3.4.1 परिधीय क्षेत्र की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों के लिये अनुज्ञाधारी द्वारा देय कुल कम्पोजिट फीस की अधिकतम 25 प्रतिशत राशि को अनुज्ञाधारी के आवेदन पर उस समूह की देशी मदिरा की वार्षिक राशि में सम्मिलित किया जा सकेगा। इस 25 प्रतिशत कम्पोजिट फीस का समायोजन वित्तीय वर्ष 2016–17 के माह अक्टूबर से माह फरवरी तक 4 प्रतिशत प्रतिमाह एवं माह मार्च में 5 प्रतिशत, निर्धारित मासिक गारण्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम पर देय आबकारी शुल्क के विरूद्ध किया जा सकेगा। इसके लिये विस्तृत निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगें।

3.5 अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि :–

3.5.1 वर्ष 2016–17 में सम्पूर्ण वार्षिक राशि का मदिरा उठाव में भराव दिया जायेगा।

3.5.2 वर्ष 2016–17 के लिये निर्धारित वार्षिक राशि की 12.50 प्रतिशत राशि अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि के रूप में राजकोष में जमा कराई जायेगी। अग्रिम राशि दिनांक 31.03.2016 तक राजकोष में जमा करानी होगी।

3.5.3 इस अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि का समायोजन वित्तीय वर्ष 2016–17 के माह अक्टूबर से माह फरवरी तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह एवं माह मार्च में 2.5 प्रतिशत, निर्धारित मासिक गारण्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम पर देय आबकारी शुल्क के विरूद्ध किया जा सकेगा।

3.6 धरोहर राशि :–

3.6.1 वर्ष 2016–17 हेतु वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की 12.50 प्रतिशत राशि, धरोहर राशि के रूप में आवेदन की शर्तो के अनुरूप नकद जमा करानी होगी।

3.7 देशी मदिरा की किस्मों का उत्पादन एवं आपूर्ति अनुपात :–

3.7.1 वर्ष 2016–17 में 40, 50 एवं 60 यू.पी. तेजी की मदिरा का उत्पादन एवं आपूर्ति निम्नानुसार रखे जाने का निर्णय लिया गया है:–

3.7.1.1 उत्पादनकर्त्ताओं द्वारा कुल आपूर्ति की न्यूनतम 40 प्रतिशत मदिरा 50 अथवा 60 यू.पी. का होना आवश्यक होगा ।

3.7.1.2 40, 50 एवं 60 यूपी की मदिरा की आपूर्ति पेट/ग्लास में की जा सकेगी।

3.7.1.3 निजी डिस्टलरी एवं बोटलिंग प्लांट द्वारा देशी मदिरा की कुल आपूर्ति का न्यूनतम 20 प्रतिशत आपूर्ति ग्लास पात्रों में की जायेगी।

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा निर्मित देशी मदिरा की न्यूनतम 20 प्रतिशत आपूर्ति ग्लास पात्रों में की जायेगी।

3.7.1.4 विभिन्न जिलों में ग्लास पात्र में मदिरा की मांग के अनुरूप आपूर्ति निजी उत्पादनकर्त्ताओं द्वारा नही किये जाने की स्थिति इसकी आपूर्ति राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा की जावेगी। जिसके लिये निजी उत्पादनकर्ता से रूपये 60 प्रति कार्टन की दर से राशि राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा वसूल की जायेगी। इसके लिये आबकारी आयुक्त द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये जायेंगे।

3.7.2 वर्ष 2016–17 में देशी मदिरा आपूर्ति का अनुपात राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स का अधिकतम 43 प्रतिशत तथा निजी डिस्टलरीज एवं बोटलिंग प्लांट का संयुक्त रूप से न्यूनतम 57 प्रतिशत होगा। निजी डिस्टलरीज एवं बोटलिंग प्लांट के संयुक्त रूप से न्यूनतम 57 प्रतिशत हिस्से में से निजी बोटलिंग प्लांट का हिस्सा 12 प्रतिशत रखे जाने का निर्णय लिय गया है।

3.7.3 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. संविदा आधारित भराई व्यवस्था के अन्तर्गत निजी बोटलर्स से देशी मदिरा भराई करवा सकेगा।

3.7.4 **देशी मदिरा का आयात :–**

वर्ष 2015–16 की व्यवस्था के अनुरूप ही वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान भी राज्य में देशी मदिरा की सप्लाई में कमी की स्थिति में राज्य सरकार, राज्य के बाहर से भी देशी मदिरा के आयात की अनुमति प्रदान कर सकेगी।

3.7.5 **देशी मदिरा उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला प्रासव :–**

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. एवं निजी क्षेत्र के बोटलर्स के द्वारा शोधित प्रासव का आयात अन्य राज्यों से किया जाता है। शोधित प्रासव के आयात में ग्रेन आधारित एवं मोलासेस आधारित शोधित प्रसाव का अनुपात क्रमशः 70 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है।

3.7.6 अनुज्ञाधारी द्वारा प्रत्येक माह की मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की 40 प्रतिशत गारन्टी पूर्ति 50/60 यूपी की देशी मदिरा के उठाव से किया जाना आवश्यक होगा। अनुज्ञाधारी द्वारा किसी माह में 50/60 यूपी की देशी मदिरा गारन्टी पूर्ति उक्त अनुपात में नहीं करने की स्थिति में उसी त्रैमास के अन्य माह/माहों में 50 एवं 60 यूपी की देशी मदिरा गारन्टी पूर्ति इस प्रकार से सुनिश्चित करेगा कि संबंधित त्रैमास की कुल मासिक एकाकी विशेषाधिकारी राशि की 40 प्रतिशत की गारन्टी पूर्ति 50/60 यूपी की देशी मदिरा के उठाव के लिये जमा कराई गई आबकारी ड्यूटी से हो।

3.7.6.1 एक त्रैमास में निर्धारित 40 प्रतिशत से कम 50/60 यूपी का उठाव होने पर, अनुज्ञाधारी को 50/60 यूपी की देशी मदिरा की गारन्टी

पूर्ति के लिये देय आबकारी शुल्क तथा 50/60 यूपी देशी मदिरा के वास्तविक उठाव से गारन्टी पूर्ति के अन्तर की राशि पृथक से जमा करवानी होगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे।

3.7.6.2 अनुज्ञाधारी द्वारा प्रत्येक माह की एकाकी विशेषाधिकार राशि की 40 प्रतिशत गारन्टी पूर्ति 50/60 यूपी की देशी मदिरा के उठाव से किये जाने की शर्त में राज्य के लिये निर्धारित अनुपात को बनाये रखते हुये, जिला विशेष की देशी मदिरा किस्म के उठाव में आबकारी आयुक्त द्वारा छूट दी जा सकेगी।

3.7.7 वर्ष 2016–17 के दौरान मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की पूर्ति का 105 प्रतिशत से अधिक उठाव करने पर अनुज्ञाधारी द्वारा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के 105 प्रतिशत से अधिक उठाई गई मदिरा की मात्रा पर देय आबकारी शुल्क में 10 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

3.7.8 मदिरा भराई के लिये उपयोग में लाई जाने वाली पेट बोतल की गुणवत्ता के विषय में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों की पालना उत्पादनकर्ताओं द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

3.8 देशी मदिरा का थोक निर्गम मूल्य :–

3.8.1 वर्ष 2015–16 में देशी मदिरा की उक्त तीनों श्रेणियों की मदिरा का थोक निर्गम मूल्य निम्नानुसार निर्धारित है:–

क्र.सं.	देशी मदिरा (RS) की किस्म	पव्वों के प्रति कार्टन का निर्गम मूल्य (रूपये में)	
		ग्लास	पेट
1.	40 यू.पी.	396	376
2.	50 यू.पी.	–	357
3.	60 यू.पी.	–	317

वर्ष 2016–17 के लिये 40 यूपी के ग्लास पात्र में पव्वों के प्रति कार्टन का निर्गम मूल्य 405/– रूपये निर्धारित किया जाता है। थोक निर्गम मूल्य में थोक अनुज्ञाधारी का मार्जिन सम्मिलित है। शेष मदिरा की किस्मों के पेट पात्र में पव्वों के प्रति कार्टन का निर्गम मूल्य 2015–16 में निर्धारित मूल्य के अनुसार यथावत रखा जाता है।

3.8.2 मदिरा उत्पादन हेतु प्रयुक्त प्रासव, पात्र एवं अन्य विविध खर्चों के आधार पर पव्वों के कार्टन के किये गये निर्गम मूल्य निर्धारण के अनुरूप ही अद्धा एवं बोतल के कार्टन के निर्गम मूल्य का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया गया है। देशी मदिरा (RS) के निर्धारित मूल्य के आधार पर वर्ष 2015–16 में

देशी मदिरा (ENA) के पव्वा, अद्धा एवं बोतल का मूल्य निर्धारण भी आबकारी आयुक्त द्वारा किया गया है, जिस व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

3.8.3 वर्ष 2016–17 के लिये वर्ष 2015–16 के अनुरूप ही 40 यू.पी. देशी मदिरा पात्रों के ढक्कन एवं लेबल्स लाल रंग के होंगे तथा लेबल्स पर सुस्पष्ट (Conspicuous) रूप से **'स्ट्रोंग मदिरा'** अंकित किया जायेगा। 50 एवं 60 यू. पी. देशी मदिरा पात्रों के ढक्कन एवं लेबल्स का नीला रंग रखे जाने का निर्णय यथावत रखा जाता है।

3.9 कम्पोजिट दुकान :–

3.9.1 राज्य के ग्रामीण क्षेत्र एवं 'चतुर्थ श्रेणी' की नगर पालिका क्षेत्रों (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर) की देशी मदिरा की समस्त दुकानें कम्पोजिट श्रेणी की होगी। वर्ष 2016–17 के लिये कम्पोजिट दुकान की कम्पोजिट फीस की गणना निम्नलिखित प्रकिया के अनुसार की जायेगी । कम्पोजिट फीस को 31 मार्च 2016 तक जमा कराया जाना आवश्यक होगा ।

3.9.1.1 राज्य में ग्रामीण क्षेत्र एवं चतुर्थ श्रेणी नगर पालिकाओं (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर) में स्थित कम्पोजिट दुकानें निम्न श्रेणी की होगी:–

(i) **परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें** : नगर निगम/नगर परिषद द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी की नगर पालिका की सीमा से 5 किमी परिधि में स्थित गांवो में अवस्थित कम्पोजिट दुकानें परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें कहलायेगी ।

(ii) **चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकाने** 'चतुर्थ श्रेणी' की नगर पालिका क्षेत्रों (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर) में स्थित कम्पोजिट दुकानें **"चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की कम्पोजिट दुकानें"** कहलायेगी।

(iii) **ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें** : परिधिय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित कम्पोजिट दुकानें **"ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें"** कहलायेगी ।

3.9.2 **परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारण** :–

3.9.2.1 वर्ष 2016–17 में ऐसी दुकानें जो बिन्दू संख्या 3.9.1.1 (i) एवं (ii) के अनुसार परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें मानी गई है तथा जो 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों में अवस्थित है, की कम्पोजिट फीस इस परिधी में स्थित गांवो को "अ" एवं "ब" दो श्रेणी में वर्गीकृत कर तद्नुसार वसूल की जायेगी।

(i) **"अ" श्रेणी के गांव** – वे गांव जिनमें वर्ष 2005–06 से वर्ष 2015–16 तक देशी मदिरा की कम्पोजिट दुकानें संचालित रही हो अथवा जिन गांवों में से होकर राज्य अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हों अथवा इन गांवों की सीमा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगती हुई हो।

(ii) **"ब" श्रेणी के गांव** – नगरीय क्षेत्र की 5 कि.मी. की परिधि में स्थित "अ" श्रेणी के गांवों के अतिरिक्त समस्त गांव "ब" श्रेणी के होगें।

3.9.2.2 वर्ष 2016–17 के लिये अनुज्ञाधारी द्वारा उसके समूह की दुकान को "अ" श्रेणी के गांवों में संचालित किये जाने पर कम्पोजिट फीस उसके समीपस्थ नगरीय क्षेत्र की भा.नि.वि. मदिरा की लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" के योग के बराबर) अथवा उस दुकान/समूह की वर्ष 2015–16 की आर.एस.बी.सी.एल की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि का 6 प्रतिशत में से जो भी अधिक हो, देय होगी। इस श्रेणी की दुकान के लिये भा.नि.वि. मदिरा/बीयर पर देय "स्पेशल वेण्ड फीस" का भराव इस वर्ष में उस दुकान की कम्पोजिट फीस के 50 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा एवं इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से देय होगी।

"ब" श्रेणी के गांव की सीमा में दुकान संचालित किये जाने पर कम्पोजिट फीस उस दुकान/समूह की वर्ष 2015–16 की आर.एस.बी. सी.एल. की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि का *6 प्रतिशत* अथवा समीपस्थ नगरीय क्षेत्र की भा.नि.वि.मदिरा/बीयर दुकान की लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" के योग) का 50 प्रतिशत अथवा रू. 50,000 में से जो भी अधिक हो, देय होगी। इस श्रेणी की दुकान के लिये भा.नि.वि.मदिरा/बीयर पर देय "स्पेशल वेण्ड फीस" का भराव उस दुकान की कम्पोजिट फीस के 50 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा एवं इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से देय होगी।

3.9.2.3 वर्ष के दौरान परिधीय क्षेत्र की "अ" श्रेणी के गांव में संचालित दुकान को अनुज्ञाधारी "ब" श्रेणी के गांव में स्थानान्तरित कराना चाहे तो कम्पोजिट फीस वापसी योग्य (refund) नही होगी, परन्तु "ब" श्रेणी गांव में संचालित दुकान "अ" श्रेणी के गांव में स्थानान्तरित कराये जाने पर "अ" व "ब" श्रेणी की कम्पोजिट फीस के अन्तर की राशि जमा करानी होगी।

3.9.2.4 परिधीय क्षेत्र की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों के लिये अनुज्ञाधारी द्वारा देय कुल कम्पोजिट फीस की अधिकतम 25 प्रतिशत राशि को

अनुज्ञाधारी के आवेदन पर उस समूह की देशी मदिरा की वार्षिक राशि में सम्मिलित किया जा सकेगा। इस 25 प्रतिशत कम्पोजिट फीस का समायोजन वित्तीय वर्ष 2016–17 के माह अक्टूबर से माह फरवरी तक 4 प्रतिशत प्रतिमाह एवं माह मार्च में 5 प्रतिशत, निर्धारित मासिक गारण्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम पर देय आबकारी शुल्क के विरूद्ध किया जा सकेगा। इसके लिये विस्तृत निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगें।

3.9.3 चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारण :–

(i) वर्ष 2016–17 हेतु "चतुर्थ श्रेणी" की नगर पालिका क्षेत्रो (सागवाड़ा नगर पालिका को छोड़कर) में स्थित देशी मदिरा दुकानों की कम्पोजिट फीस की गणना निम्न प्रक्रिया के अनुसार की जावेगीः–

(क) वर्ष 2016–17 के लिये सम्बन्धित नगर पालिका क्षेत्र में वर्ष 2015–16 में संचालित समस्त कम्पोजिट दुकानों की राजस्थान राज्य ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल) की कुल एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) का 6 प्रतिशत राशि के बराबर कम्पोजिट फीस की गणना की जायेगी।

(ख) उपरोक्त बिन्दु संख्या 3.9.3 (i) (क) में गणना की गई राशि को संबंधित नगर पालिका क्षेत्र की सभी देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों में समान रूप से विभाजित कर प्रत्येक देशी मदिरा कम्पोजिट दुकान की कम्पोजिट फीस निर्धारित की जायेगी।

(ii) वर्ष 2016–17 में "चतुर्थ श्रेणी" नगर पालिका की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों की प्रत्येक दुकान के लिये जमा कम्पोजिट फीस की 50 प्रतिशत राशि उस दुकान के लिये भा.नि.वि.म./बीयर निर्गम के लिये देय "स्पेशल वेण्ड फीस" के पेटे समायोजन योग्य होगी एवं इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से देय होगी।

3.9.4 **ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारण** :–

(i) वर्ष 2016–17 हेतु ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस वर्ष 2015–16 की भा.नि.वि.मदिरा एवं बीयर की राजस्थान राज्य ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल.) डिपो की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) के 6 प्रतिशत अथवा वर्ष 2015–16 हेतु **निर्धारित कम्पोजिट फीस अथवा रू. 50,000/–** जो भी अधिक हो, निर्धारित की जावेगी।

(ii) वर्ष 2016–17 में ग्रामीण क्षेत्र के किसी समूह में एक से अधिक कम्पोजिट दुकाने होने पर आर.एस.बी.सी.एल से भा.नि.वि. मदिरा एवं बीयर की वर्ष 2015–16 की सभी कम्पोजिट दुकानों की कुल एनुएलाईज्ड बिलिंग राशि को समान रूप से विभाजित किया जाकर वर्ष 2016–17 हेतु प्रति कम्पोजिट दुकान कम्पोजिट राशि निर्धारित की जायेगी ।

(iii) वर्ष 2016–17 में ग्रामीण क्षेत्र की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकान के लिये जमा कम्पोजिट फीस की 50 प्रतिशत राशि उस दुकान के लिये भा.नि.वि. मदिरा/बीयर निर्गम के लिये देय "स्पेशल वेण्ड फीस" के पेटे समायोजन योग्य होगी एवं इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से देय होगी।

3.9.5 वर्ष 2016–17 के लिये दो या दो से अधिक दुकान वाले मदिरा समूह को एक गोदाम की सुविधा रूपये 20000/– की वार्षिक फीस पर उपलब्ध होगी। रूपये 10 लाख से अधिक वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि वाले एकल दुकान समूह को रू. 30,000/– की वार्षिक फीस पर एक गोदाम की सुविधा उपलब्ध होगी। कम्पोजिट दुकान के लिये स्वीकृत गोदाम में देशी मदिरा के साथ भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन के भण्डारण की अनुमति दी जा सकेगी।

3.9.6 **एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) की गणना :–**

(i) किसी समूह के अनुज्ञाधारी द्वारा उस समूह की कम्पोजिट दुकानों के लिये मदिरा एवं बीयर के क्रय हेतु आर.एस.बी.सी.एल. को वित्तीय वर्ष 2015–16 के प्रथम 9 माह में उस समूह की सभी कम्पोजिट दुकानों द्वारा अदा की गई कुल राशि (Including all levies,VAT and SVF) को 4/3 से गुणा कर एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि की गणना की जायेगी।

3.10 भा.नि.वि.मदिरा के वर्ष 2015–16 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2016–17 में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि एवं बीयर के वर्ष 2015–16 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2016–17 में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वाले कम्पोजिट समूहों (परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों को छोड़कर) के अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा कम उठाई गई भा.नि.वि.मदिरा की मात्रा पर रू. 10/– प्रति बल्क लीटर तथा कम उठाई गई बीयर की मात्रा पर रू. 10/– प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि वसूली योग्य होगी। उक्त कम उठाव वाली दुकानों की गणना दुकानवार प्रत्येक त्रैमास के पश्चात् की जायेगी। इस हेतु विस्तृत प्रक्रिया एवं निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे।

3.10.1 वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समूह का पुनः बन्दोबस्त किये जाने की स्थिति में संबंधित समूह की न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस/कम्पोजिट फीस का पुनः निर्धारण वर्ष की शेष अवधि अनुसार अनुपातिक आधार पर किया जायेगा।

3.11 डूंगरपुर–बांसवाड़ा जिलों में देशी मदिरा का विक्रय :–

3.11.1 बन्दोबस्त की प्रकिया :–

वर्ष 2016–17 हेतु शहरी क्षेत्र की देशी मदिरा समूहों को अन्य जिलों के लिये निर्धारित प्रकिया अनुसार लॉटरी द्वारा आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। इन समूहों के लिये सभी वर्गों के आवेदनकर्ता आवेदन प्रस्तुत कर लॉटरी प्रकिया में भाग ले सकेंगे।

वर्ष 2016–17 हेतु ग्रामीण क्षेत्र की देशी मदिरा समूहों का आवंटन भी लॉटरी प्रकिया के द्वारा किया जायेगा। इन समूहों के लिये प्रथम लॉटरी प्रकिया में सम्बन्धित जिले के अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ही आवेदन प्रस्तुत कर लॉटरी प्रकिया में भाग ले सकेंगे। प्रथम लॉटरी प्रकिया के बाद ग्रामीण क्षेत्र के देशी मदिरा समूह जो आवंटन से शेष रह जाते हैं तो ऐसे समूहों के पुनः आवंटन प्रक्रिया के लिये सभी वर्गों के आवेदनकर्ता आवेदन प्रस्तुत कर लॉटरी प्रकिया में भाग ले सकेंगे।

निश्चित वार्षिक राशि पर नये आवेदन आमंत्रित कर बन्दोबस्त किया जायेगा। देशी मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगें जो कि विभागीय वेबसाईट के साथ–साथ आवेदन पत्र के साथ भी उपलब्ध कराये जायेंगे।

जिन समूहों हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे, ऐसे समूहों के लिये जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष लाटरी निकाली जाकर सफल आवेदक का चयन किया जायेगा। एक व्यक्ति को एक समूह से अधिक समूहों का आवंटन नही किया जायेगा।

3.11.2 समूहों का गठन :–

वर्तमान में 58 देशी मदिरा दुकानों के पंचायतवार/नगरपालिका वार्डवार समूह बनाये गये हैं। दुकानों की संख्या को यथावत रखा गया है। शहरी क्षेत्र की सीमा में वृद्धि, वार्ड की सीमाओं में परिवर्तन एवं वर्तमान में रिक्त वार्ड/ग्राम पंचायत को समूह के क्षेत्र में शामिल करने, जिले के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में एक से अधिक दुकानों वाले समूहों को तोड़कर रिक्त पंचायतों में नये समूहों का गठन एवं क्षेत्रवार मदिरा खपत की प्रवृति को दृष्टिगत करते हुये यथा सम्भव जनसंख्या के अनुपात में दुकानों के वितरण हेतु मदिरा समूहों के क्षेत्रों का पुर्ननिर्धारण एवं तद्नुसार वार्षिक राशि का विवेकीकरण आबकारी आयुक्त, राज्य सरकार की अनुमति से कर सकेगें।

3.11.3 आवेदन शुल्क :–

देशी मदिरा समूहों हेतु आवेदन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:–

श्रेणी	आवेदन शुल्क
वर्ष 2016–17 के लिये 10 लाख तक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	6,000/–
वर्ष 2016–17 के लिये 10 लाख से अधिक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	10,000/–

3.11.4 अमानत राशि (Earnest Money) : देशी मदिरा समूह के लिये आवेदन के साथ सम्बन्धित दुकान के लिये वर्ष 2016–17 हेतु निर्धारित वार्षिक राशि की **दो प्रतिशत** राशि अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। जिस आवेदक का अनुज्ञापत्र हेतु चयन हो जाता है, उसके द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि को धरोहर राशि पेटे समायोजित किया जायेगा। असफल आवेदकों द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि सम्बन्धित आवेदक को लौटा दी जायेगी।

3.11.5 वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समूह का पुनः बन्दोबस्त किये जाने की स्थिति में संबंधित समूह की एकाकी विशेषाधिकार राशि का पुनः निर्धारण वर्ष की शेष अवधि अनुसार अनुपातिक आधार पर किया जायेगा।

311.6 वार्षिक राशि (एकाकी विशेषाधिकार राशि का निर्धारण) :–

वर्ष 2015–16 की एकाकी विशेषाधिकार राशि के बराबर वर्ष 2016–17 हेतु वार्षिक राशि निर्धारित की जायेगी।

311.7 परिधीय क्षेत्र की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों के लिये अनुज्ञाधारी द्वारा देय कुल कम्पोजिट फीस की अधिकतम 25 प्रतिशत राशि को अनुज्ञाधारी के आवेदन पर उस समूह की देशी मदिरा की वार्षिक राशि में सम्मिलित किया जा सकेगा। इस 25 प्रतिशत कम्पोजिट फीस का समायोजन वित्तीय वर्ष 2016–17 के माह अक्टूबर से माह फरवरी तक 4 प्रतिशत प्रतिमाह एवं माह मार्च में 5 प्रतिशत, निर्धारित मासिक गारण्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम पर देय आबकारी शुल्क के विरूद्ध किया जा सकेगा। इसके लिये विस्तृत निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगें।

3.11.8 अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि :–

वर्ष 2016–17 में सम्पूर्ण वार्षिक राशि का मदिरा उठाव में भराव दिया जायेगा।

वर्ष 2016–17 के लिये निर्धारित वार्षिक राशि की 12.50 प्रतिशत राशि अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि नकद राजकोष में जमा कराई जायेगी। अग्रिम राशि दिनांक 31.03.2016 तक राजकोष में जमा करानी होगी।

यह 12.50 प्रतिशत अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि वित्तीय वर्ष 2016–17 के माह अक्टूबर से माह फरवरी तक प्रतिमाह 2 प्रतिशत राशि एवं माह मार्च में 2.5 प्रतिशत राशि निर्धारित मासिक गारण्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम के आबकारी शुल्क में समायोजन योग्य होगी।

3.11.9 धरोहर राशि :–

वर्ष 2016–17 हेतु वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की 12.50 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में आवेदन आमंत्रण की शर्तो के अनुरूप नकद जमा की जायेगी।

(4) भारत निर्मित विदेशी मदिरा :

4.1 बन्दोबस्त प्रकिया :–

वर्ष 2016–17 के लिये आवेदन आमंत्रित कर भा.नि.वि.म./ बीयर की दुकानों का बन्दोबस्त किया जायेगा। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों की भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर दुकानों का बन्दोबस्त अन्य जिलों में निर्धारित प्रकिया अनुसार पूर्व की भांति यथावत किया जायेगा। इस वर्ष भा.नि.वि. मदिरा/बीयर की दुकानों हेतु आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगें जो कि विभागीय वेबसाईट के साथ–साथ आवेदन पत्र के साथ भी उपलब्ध कराई जायेगी।

4.1.1 एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पूर्व की भांति जिला कलक्टर के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाटरी निकाल कर सफल आवेदक का चयन किया जायेगा। एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान का आवंटन नही किया जायेगा।

4.1.2 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा DBCW12547/2012 राजेन्द्र नारायण माथुर बनाम राजस्थान स्टेट एवं अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 15–01–2015 के अनुसार राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर राज्य में भा.नि.वि. मदिरा की दुकानों की लोकेशन 150 मीटर की दूरी पर रहेगी। उक्त व्यवस्था इस रिट याचिका के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

4.2 दुकानों की संख्या :–

नगरीय क्षेत्रों के लिये भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की दुकानों की पूर्व निर्धारित संख्या 1000 ही रखी जायेगी।

4.3 आवेदन शुल्क :–

वर्ष 2016–17 हेतु भा.नि.वि. मदिरा/बीयर रिटेल ऑफ दुकानों के लिये आवेदन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:–

श्रेणी	आवेदन शुल्क रूपये में
वर्ष 2016–17 में रू. 10 लाख तक की वार्षिक लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस के योग) वाली दुकान	15,000/–
वर्ष 2016–17 में रू. 10 लाख से अधिक वार्षिक लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस के योग) वाली दुकान	21,000/–

4.3.1 अमानत राशि (Earnest Money) : भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की खुदरा दुकानों के लिये आवेदन के साथ सम्बन्धित दुकान के लिये वर्ष 2016–17 हेतु निर्धारित वार्षिक लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस के योग) की दो प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। अनुज्ञापत्र हेतु चयनित आवेदक द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि को वार्षिक लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस के योग) के पेटे समायोजित किया जायेगा। असफल आवेदकों द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि सम्बन्धित आवेदक को लौटा दी जायेगी।

4.4 लाईसेन्स फीस :–

4.4.1 वर्ष 2016–17 हेतु वार्षिक लाईसेन्स फीस श्रेणीवार निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–

(राशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	श्रेणी	वर्ष 2015–16 में वार्षिक लाईसेन्स फीस	वर्ष 2016–17 के लिये निर्धारित वार्षिक लाईसेन्स फीस		
			बेसिक लाईसेन्स फीस	न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस	कॉलम नं.4 एवं 5 का योग
1	2	3	4	5	6
1.	जयपुर एवं जोधपुर	20.00	12.00	9.00	21.00
2.	अन्य सम्भागीय मुख्यालय, माउण्ट आबू व जैसलमेर	16.25	9.75	7.50	17.25
3.	जिला मुख्यालय अलवर, सीकर, भीलवाड़ा, पाली, गंगानगर	12.50	7.50	6.00	13.50

4.	अन्य जिला मुख्यालय	10.50	6.30	5.20	11.50
5.	अन्य नगरपालिकाऐं एवं सागवाड़ ("चतुर्थ श्रेणी" की अन्य नगर पालिकाओं को छोड़कर)	8.75	5.25	4.50	9.75

4.5 न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस :–

वर्ष 2016–17 के लिये बिन्दु संख्या 4.4.1 में अंकित विभिन्न श्रेणियों के अनुज्ञाधारियों द्वारा सम्बन्धित वर्ष में भुगतान की गई "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" की राशि, भा.नि.वि.मदिरा/बीयर के लिये निर्धारित प्रति बल्क लीटर "स्पेशल वेण्ड" फीस के पेटे (जो कि अनुज्ञाधारी द्वारा देय है) सम्बन्धित वर्ष में ही समायोजित की जायेगी। सम्बन्धित वर्ष में उक्त समायोजन के पश्चात अनुज्ञाधारी को भा.नि.वि. मदिरा/बीयर के निर्गम पर निर्धारित दर से स्पेशल वेण्ड फीस अलग से जमा करवानी होगी।

4.6 भा.नि.वि.मदिरा के वर्ष 2015–16 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2016–17 में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि एवं बीयर के वर्ष 2015–16 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2016–17 में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वाले भा.नि.वि. मदिरा/बीयर रिटेल ऑफ की दुकान एवं परिधीय क्षेत्र के कम्पोजिट दुकान के अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा कम उठाई गई भा.नि.वि.मदिरा की मात्रा पर रू. 10/– प्रति बल्क लीटर तथा कम उठाई गई बीयर की मात्रा पर रू. 10/– प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि वसूली योग्य होगी । उक्त कम उठाव वाली दुकानों की गणना दुकानवार प्रत्येक त्रैमास के पश्चात् की जायेगी। इस हेतु विस्तृत प्रकिया एवं निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे।

4.6.1 वित्तीय वर्ष के दौरान किसी दुकान का पुनः बन्दोबस्त किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित दुकान की न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस/कम्पोजिट फीस का पुनःनिर्धारण वर्ष की शेष अवधि अनुसार अनुपातिक आधार पर किया जायेगा।

4.6.2 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा के प्रथम आबकारी ड्यूटी स्लेब में 25/35 यू.पी. तेजी की भारत निर्मित विदेशी मदिरा (विस्की, ब्राण्डी, जिन, रम, वोदका आदि) का उत्पादन टेट्रा पैक/ग्लास में किये जाने की अनुमति दी जा सकेगी। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के स्वयं द्वारा अथवा अनुबन्ध आधार पर निजी उत्पादकत्ताओं से इस श्रेणी की मदिरा का उत्पादन कराया जा सकेगा।

4.7 देशी मदिरा, भा.नि.वि. मदिरा एवं बीयर पर आबकारी शुल्क/फीस में संशोधनः–

4.7.1 देशी मदिरा :

वर्ष 2015–16 में देशी मदिरा पर आबकारी शुल्क की दर रू. 116.67/– प्रति एल.पी.एल. निर्धारित है। देशी मदिरा पर आबकारी शुल्क की दर को बढ़ाया जाकर रू. 127/– प्रति एल.पी.एल. निर्धारित किया जाता है। देशी मदिरा के विक्रय मूल्य पर 5 प्रतिशत की दर से वैट वसूल किया जायेगा।

4.7.2 भा.नि.वि. मदिरा :–

एक्स डिस्टलरी मूल्य	आबकारी शुल्क की वर्तमान दर	संशोधित एक्स डिस्टलरी मूल्य	आबकारी शुल्क की संशोधित दर
Upto रू. 500 तक	रू. 104+(0.2 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर रू. परन्तु न्यूनतम 180/–प्रति प्रुफ लीटर	Upto रू. 550 तक	रू. 120+(0.17 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर रू. परन्तु न्यूनतम 195/–प्रति प्रुफ लीटर
रू. 500 से अधिक एवं 600 तक	रू. 164+(0.10 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर	रू. 550 से अधिक तथा 700 तक	रू. 109+(0.24 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर
रू. 600 से अधिक एवं 900 तक	रू. 220+(0.05 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर	रू. 700 से अधिक एवं 900 तक	रू. 225+(0.08 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर
रू. 900 से अधिक एवं 1500 तक	रू. 280/– प्रति प्रुफ लीटर	रू. 900 से अधिक एवं 1100 तक	रू. 237+(0.07 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर
–	–	रू. 1100 से अधिक एवं 1300 तक	रू. 264+(0.05 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर
–	–	रू. 1300 से अधिक एवं 1500 तक	रू. 293+(0.03 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर
रू. 1500 से अधिक एवं 3000 तक	रू. 350/– प्रति प्रुफ लीटर	रू. 1500 से अधिक एवं 3000 तक	रू. 400/– प्रति प्रुफ लीटर
रू. 3000 से अधिक एवं 8000 तक	रू. 500/– प्रति प्रुफ लीटर	रू. 3000 से अधिक एवं 8000 तक	रू. 500/– प्रति प्रुफ लीटर (यथावत)
रू.8000 से अधिक एवं 10000 तक	35 प्रतिशत एड–वेलोरम अथवा रू. 500/– प्रति एल. पी.एल.,जो भी अधिक हो।	रू.8000 से अधिक एवं 10000 तक	35 प्रतिशत एड–वेलोरम अथवा रू. 500/– प्रति एल.पी.एल.,जो भी अधिक हो। (यथावत)
रू.10000 से अधिक एवं 25000 तक	40 प्रतिशत एड–वेलोरम	रू.10000 से अधिक एवं 25000 तक	40 प्रतिशत एड–वेलोरम (यथावत)
रू.25000 से अधिक एवं 50000 तक	45 प्रतिशत एड–वेलोरम	रू.25000 से अधिक एवं 50000 तक	45 प्रतिशत एड–वेलोरम (यथावत)
रू.50000 से अधिक	50 प्रतिशत एड–वेलोरम	रू.50000 से अधिक	50 प्रतिशत एड–वेलोरम (यथावत)

आबकारी शुल्क/फीस की अन्य दरें यथावत रहेंगी।

4.7.3 विदेशी मदिरा (BIO) :–

एक्स डिस्टलरी मूल्य	आबकारी शुल्क की वर्तमान दर	संशोधित एक्स डिस्टलरी मूल्य	आबकारी शुल्क की संशोधित दर
Upto रू. 500 तक	रू. 104+(0.2 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर रू. परन्तु न्यूनतम 180/–प्रति प्रुफ लीटर	Upto रू. 550 तक	रू. 120+(0.17 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर रू. परन्तु न्यूनतम 195/–प्रति प्रुफ लीटर
रू. 500 से अधिक एवं 600 तक	रू. 164+(0.10 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर	रू. 550 से अधिक तथा 700 तक	रू. 109+(0.24 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर
रू. 600 से अधिक एवं 900 तक	रू. 220+(0.05 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर	रू. 700 से अधिक एवं 900 तक	रू. 225+(0.08 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर
रू. 900 से अधिक एवं 1500 तक	रू. 280/– प्रति प्रुफ लीटर	रू. 900 से अधिक एवं 1100 तक	रू. 237+(0.07 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर
–	–	रू. 1100 से अधिक एवं 1300 तक	रू. 264+(0.05 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर
–	–	रू. 1300 से अधिक एवं 1500 तक	रू. 293+(0.03 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर
रू. 1500 से अधिक एवं 3000 तक	रू. 350/– प्रति प्रुफ लीटर	रू. 1500 से अधिक एवं 3000 तक	रू. 400/– प्रति प्रुफ लीटर
रू. 3000 से अधिक एवं 8000 तक	रू. 500/– प्रति प्रुफ लीटर	रू. 3000 से अधिक एवं 8000 तक	रू. 500/– प्रति प्रुफ लीटर (यथावत)
रू.8000 से अधिक एवं 10000 तक	35 प्रतिशत एड–वेलोरम अथवा रू. 500/– प्रति एल. पी.एल.,जो भी अधिक हो।	रू.8000 से अधिक एवं 10000 तक	35 प्रतिशत एड–वेलोरम अथवा रू. 500/– प्रति एल.पी.एल.,जो भी अधिक हो। (यथावत)
रू.10000 से अधिक एवं 25000 तक	40 प्रतिशत एड–वेलोरम	रू.10000 से अधिक एवं 25000 तक	40 प्रतिशत एड–वेलोरम (यथावत)
रू.25000 से अधिक एवं 50000 तक	45 प्रतिशत एड–वेलोरम	रू.25000 से अधिक एवं 50000 तक	45 प्रतिशत एड–वेलोरम (यथावत)
रू.50000 से अधिक	50 प्रतिशत एड–वेलोरम	रू.50000 से अधिक	50 प्रतिशत एड–वेलोरम (यथावत)

आबकारी शुल्क/फीस की अन्य दरें यथावत रहेंगी।

4.7.4 बीयर :

बीयर पर वर्तमान में लागू आबकारी शुल्क 146% एड–वोलेरम एक्स ब्रेवरी प्राइस (including export fee, incremental overheads and CST but excluding any other amount) के स्थान पर 156% एड–वोलेरम एक्स ब्रेवरी प्राइस (including export fee, incremental overheads and CST but excluding any other amount) निर्धारित किया जाता है।

4.7.5 आयातित बीयर :

आयातित बीयर पर वर्तमान में लागू थोक लाईसेन्स फीस 146% एड–वोलेरम एक्स ब्रेवरी प्राइस (including export fee, incremental overheads and CST but excluding any other amount) के स्थान पर 156% एड–वोलेरम एक्स ब्रेवरी प्राइस (including export fee, incremental overheads and CST but excluding any other amount) निर्धारित किया जाता है।

4.7.6 स्पेशल वेण्ड फीस :–

बर्तमान में स्पेशल वेण्ड फीस भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर रू. 10/– प्रति बल्क लीटर तथा बीयर पर रू. 5/– प्रति बल्क लीटर निर्धारित है। जिसको यथावत रखा जाता है।

4.7.7 ब्रिंगिंग इन टू परमिट फीस :–

वर्तमान में राज्य के बाहर से अन्य राज्यों से बीयर लाने पर ब्रिंगिंग इन टू परमिट फीस रू. 5/– प्रति बल्क लीटर निर्धारित है। राज्य की बीयर निर्माण इकाईयों की समस्या को मध्यनजर रखते हुये राज्य के बाहर से अन्य राज्यों से बीयर लाने पर ब्रिंगिंग इन टू परमिट फीस रू. 7/– प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जाती है।

4.7.8 निर्माण इकाईयों की लाईसेन्स फीस का निर्धारण :–

निर्माण इकाईयों की वर्तमान में प्रचलित वार्षिक लाईसेन्स फीस उनकी उत्पादन क्षमता पर आधारित नहीं है। इनकी वार्षिक लाईसेन्स फीस को उत्पादन क्षमता के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

किस्म अनुज्ञापत्र	उत्पादन क्षमता (किलो लीटर में)	वार्षिक लाईसेन्स फीस (लाख रूपये में)
डिस्टलरी	30 तक	25.00
	30 से अधिक एवं 50 तक	30.00
	50 से अधिक एवं 75 तक	35.00
	75 से अधिक	40.00
	(प्रतिदिन आंकड़े)	
ब्रेवरी (प्रतिवर्ष)	30 हजार तक	20.00
	30 हजार से अधिक एवं 50 तक	25.00
	50 हजार से अधिक एवं 75 तक	35.00
	75 हजार से अधिक	40.00
	(प्रतिवर्ष आंकड़े)	
बोटलिंग प्लांट	देशी मदिरा भराई	2.00
	भा.नि.वि. मदिरा भराई	6.50

वर्तमान में कार्यरत एवं अनुज्ञप्तिधीन डिस्टलरी, ब्रेवरी एवं बोटलिंग प्लांट के अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण तथा नई स्थापित होने वाली ईकाइयों के लिये उपरोक्तानुसार उत्पादन क्षमता के आधार पर वार्षिक लाईसेन्स फीस देय होगी।

4.8 दुकान का संचालन प्रारम्भ करने से पूर्व भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर रिटेल ऑफ के अनुज्ञाधारी को रू0 1,00,000/– राशि के राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र/बैंक गारन्टी संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा, जिन्हें अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के तीन माह बाद लौटाया जा सकेगा।

4.9 अनुज्ञाधारी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र/बैंक गारन्टी का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित अनुज्ञाधारी से बकाया राशि वसूल किये जाने के लिये किया जायेगा। इस हेतु विस्तृत प्रकिया एवं निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगें ।

(5) रिटेल ऑन (Retail-on) : होटल/क्लब/रेस्टोरेण्ट बार :–

5.1 अन्य श्रेणी के होटल के लिये होटल बार लाईसेन्स फीस का निर्धारण स्थान एवं कमरों की संख्या के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। स्थान एवं कमरों की संख्या के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित प्रारंभिक शुल्क के बराबर नवीनीकरण फीस के भुगतान पर वर्तमान अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण किया जायेगा। (राशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	श्रेणी	होटल में निर्मित कमरों की संख्या	लाईसेन्स फीस वर्ष 2015–16	निर्धारित प्रारम्भिक लाईसेन्स फीस		
				बेसिक लाईसेन्स फीस	न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस	कॉलम नं.4 एवं 5 का योग
1	2		3	4	5	6
3.	**अन्य होटल :–**					
	(i) निम्न शहरों की शहरी सीमा में स्थित :–					
	(अ) जयपुर , जोधपुर एवं उदयपुर	50 तक	8.50	7.50	1.00	8.50
		51 से 100		9.00	1.00	10.00
		100 से अधिक		14.00	1.00	15.00
	(ब) अन्य सम्भांग मुख्यालय, माउण्ट आबू एवं जैसलमेर	50 तक	7.50	6.50	1.00	7.50
		51 से 100		8.00	1.00	9.00
		100 से अधिक		12.00	1.00	13.00
	(स) अन्य जिला मुख्यालय	50 तक	6.50	6.00	1.00	7.00
		51 से 100		7.00	1.00	8.00
		100 से अधिक		9.00	1.00	10.00
	(द) अन्य नगरपालिका एवं भिवाड़ी यू. आई.टी. क्षेत्र (जिला अलवर)	25 तक	5.00	4.00	1.00	5.00
		25 से अधिक		5.00	1.00	6.00
	(ii) अन्य स्थानों पर अवस्थित जो क्लाज (i) में सम्मिलित नही है।	25 तक	4.00	3.00	0.50	3.50
		25 से अधिक		3.00	0.50	3.50

कमाक 3(i) (अ) में श्रेणीबद्ध शहरी स्थानीय निकाय की सीमा से 7.5 किमी की दूरी पर, कमांक 3(i)(ब) एवं (स) में श्रेणीबद्ध शहरी स्थानीय निकाय की सीमा से 5 किमी की दूरी पर, तथा कमांक 3(i) (द) में श्रेणीबद्ध शहरी स्थानीय निकाय/यू. आई.टी. की सीमा से 3 किमी की दूरी पर अवस्थित होटल के लिये सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय/यू.आई.टी. क्षेत्र के लिये उपरोक्त निर्धारित फीस के बराबर फीय देय होगी।

5.1.1 बिन्दू संख्या 5.1 में उल्लेखित अन्य श्रेणी के होटल बार अनुज्ञापत्रों के अलावा स्टार एवं हैरिटेज श्रेणी के होटल बार अनुज्ञापत्रों की प्रारंम्भिक लाईसेन्स फीस को यथावत रखा गया है।

5.2 रिटेल ऑन (Retail-on) अनुज्ञाधारी द्वारा भा.नि.वि. मदिरा/बीयर निर्गम पर निर्धारित स्पेशल वेण्ड फीस देय होगी। यह "स्पेशल वेण्ड फीस" रिटेल ऑन अनुज्ञाधारी द्वारा जमा कराई गई "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" की सीमा तक समायोजन योग्य होगी। इसके बाद मदिरा/बीयर निर्गम पर "स्पेशल वेण्ड फीस" रिटेल ऑन अनुज्ञाधारी को पृथक से जमा करानी होगी।

5.3 होटल बार के लिये नवीन अनुज्ञापत्र जारी करने के लिये शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित स्थानीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित सक्षम अधिकारी के द्वारा व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–रूपान्तरण आदेश के साथ सम्बन्धित स्थानीय निकाय/सक्षम अधिकारी द्वारा होटल प्रयोजनार्थ होटल भवन मानचित्र अनुमोदित होना चाहिये। मल्टीप्लैक्स भवनों की मानचित्र स्वीकृति में होटल के लिये स्थान चिन्हित होना चाहिये।

5.4 रेस्टोरेन्ट बार के लिये नवीन अनुज्ञापत्र जारी करने के लिये शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित स्थानीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित सक्षम अधिकारी के द्वारा व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू रूपान्तरण आदेश बार स्वीकृति हेतु मान्य होंगे।

(6) भांग :–

6.1 बन्दोबस्त प्रकिया :

वर्ष 2016–17 के लिये भांग समूहों का बन्दोबस्त निविदायें आमंत्रित कर किये जाने का निर्णय लिया गया है।

6.2 समूहों की संख्या :

वर्ष 2015–16 में भांग दुकानों के 29 समूह हैं । समूह का बन्दोबस्त किये जाने के पूर्व समूह की आरक्षित राशि को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक समूह के अर्न्तगत आने वाली दुकानों (राज्य में कुल दुकानों की संख्या को यथावत रखते हुये) का विवेकीकरण आबकारी आयुक्त द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है।

6.3 आरक्षित राशि का निर्धारण :

वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित अनुज्ञा राशि का विवेकीकरण किये जाने के उपरान्त इस राशि में 6 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर वर्ष 2016–17 के लिये अनुज्ञाराशि निर्धारित की जायेगी ।

6.4 भांग समूहों के बन्दोबस्त के सम्बन्ध में अन्य प्रावधान पूर्व वर्षो की भांति यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(7) बन्दोबस्त से शेष रही दुकानों को आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यकता होने पर अन्य जिले में स्थानान्तरित किया जावेगा अथवा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा संचालित कराया जायेगा ।

(8) मद्य संयम के सम्बन्ध में नीतिगत निर्देश :

(i) **दुकानें खोलने का समय :** अनुज्ञापत्र प्राप्त रिटेल ऑफ (Retail-off) दुकानें खुलने (10:00 बजे प्रातः) व बन्द (रात्रि 8:00 बजे) होने के समय की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जायेगी।

(ii) **मदिरा उपभोग प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों पर कार्यवाहीः** मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थो के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों आदि के विरूद्ध प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मदिरा/बीयर पीने के लिये विशेषकर युवाओं को आकर्षित/लालायित करने हेतु लगाये गये प्रचार विज्ञापनों /बोर्ड आदि को हटाया जायेगा।

(iii) **मदिरा बोतलों पर सुस्पष्ट चेतावनी का अंकन :** मदिरा के प्रत्येक पात्र के लेबल पर हिन्दी में **"मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं" तथा अंग्रेजी में** "Consumption of liquor is injurious to health" निर्धारित साइज में सुस्पष्ट वैधानिक चेतावनी का उल्लेख किया जायेगा।

(iv) **राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गो पर मदिरा विक्रय पर नियंत्रण :** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा DBCW12547/2012 राजेन्द्र नारायण माथुर बनाम राजस्थान स्टेट एवं अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 15.1.2015 के अनुसार राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर राज्य में भा.नि.वि. मदिरा/देशी मदिरा की 2259 दुकानों की अवस्थिति 150 मीटर की दूरी पर रहेगी। उक्त व्यवस्था इस रिट याचिका के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

(v) **अवयस्क व्यक्तियों को नशीले पदार्थो की बिक्री पर रोक के प्रयास :** 18 वर्ष से कम आयु के युवा वर्ग को नशीले पदार्थो की बिक्री न होने देने के लिये प्रयास किये जायेंगे।

(vi) **दुकानों पर निर्धारित सूचना के अलावा विज्ञापन प्रदर्शित करने पर रोक :** दुकानों पर अनुज्ञाधारी का नाम, लाइसेन्स नम्बर, अवधि व मूल्य सूची के अलावा अन्य किसी प्रकार के विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति नही दी जायेगी।

(vii) **नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार :** नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में आमजन को जानकारी दिये जाने हेतु एवं जागरूकता लाने हेतु आई.ई.सी. गतिविधियां संचालित की जायेगी, जिसमें मुख्यतः दूरदर्शन, समाचार पत्रों एवं सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड लगाकर नशे के कुप्रभावों के बारे में प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

(viii) **सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन पर जुर्माना :** सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन किये हुये अथवा करते हुये पाये जाने पर राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2013 में जुर्माने संबंधी प्रावधान को बढ़ाया गया है। संशोधित प्रावधान के अनुसार उल्लंघनकर्ताओं पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(ix) समीपवर्ती राज्यों हरियाणा एवं पंजाब की सीमाओं से राजस्थान राज्य में अवैध रूप से आने वाले मदिरा पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वर्ष भर के लिये निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रख कर कार्य योजना बनाई जाकर लागू की जायेगी :–

(i) सीमावर्ती जिलों की पुलिस के साथ समन्वय करते हुये संयुक्त जांच दलों का गठन किया जायेगा।

(ii) 24 घण्टे निगरानी रखे जाने की दृष्टि से निगरानी दलों को वाहन एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

(iii) सीमावर्ती जिलों में इस कार्यवाही का प्रभावी बनाये रखने के लिये सम्भाग स्तर पर आई जी रेन्ज की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जायेगी । इसमें कमेटी में आबकारी विभाग, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित रहेंगे।

(iv) निकटवर्ती राज्यों की नीतियों, जिनके कारण राजस्थान में शराब की तस्करी को बढ़ावा मिलता है, के सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर संबंधित राज्य की सरकार के साथ संवाद स्थापित कर शराब की तस्करी पर नियंत्रण हेतु प्रयास किये जायेंगे।

(9) शुष्क दिवस :

वर्तमान में निर्धारित 5 शुष्क दिवस गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी की पुण्य तिथि 30 जनवरी, महावीर जयंती, स्वाधीनता दिवस एवं गांधी जयंती को वित्तीय वर्ष 2016–17 में भी यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(10) आबकारी विभाग के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव :

(i) सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु योजना :

आबकारी विभाग में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान करने के लिये एक समयबद्ध योजना बनाई जायेगी एवं रिक्त पदों को वर्ष के दौरान भरा जायेगा।

(ii) निरोधक दल हेतु राजकीय वाहनः

. विभाग में निरोधक दल हेतु 195 किराये के वाहन स्वीकृत है, परन्तु विभाग की कार्य की विशेष प्रकृति के कारण समुचित संख्या में किराये के वाहन मिलने में कठिनाई आ रही है । अतः किराये के वाहनों के स्थान पर आगामी दो वित्तीय वर्षों में 25–25 राजकीय वाहन क्रय किये जायेगे।

(iii) पुराने भवनों का रख–रखाव एवं नये भवनों का निर्माण :

पुराने भवनों (कार्यालय एवं आवासीय) का पर्याप्त बजट के अभाव में रख रखाव नही हो पा रहा है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 5.00 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान विभाग को देय प्रोत्साहन राशि में से किया जायेगा। आवश्कतानुसार, जिला आबकारी अधिकारी एवं सहायक आबकारी अधिकारी निरोधक दल के नये कार्यालय भवनों का निर्माण किया जायेगा।

(iv) वित्तीय वर्ष 2016–17 में रिटेल ऑन अनुज्ञा पत्रों के नवीनीकरण की कार्यवाही को ऑनलाइन किया जाने का निर्णय लिया गया है।

(v) जब्त वाहनो का ई ऑकशन, आबकारी थानों, सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालयों आदि से सम्बन्धित कार्य ऑनलाइन किये जायेगें, जिसमें वाहनों/मालखाना निस्तारण से सम्बन्धित प्रकरणों के साथ थाने में एफ.आई.आर. से लेकर चालान प्रस्तुत करने की सूचनाओं को ऑनलाईन किया जायेगा।

(vi) आबकारी विभाग के सभी फील्ड ऑफिसर, सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक एवं प्रहराधिकारी के कार्यालयों को इंटरनेट कनेक्टीविटी की सुविधा दी जायेगी ।

(11) आबकारी बन्दोबस्त, मद्य–संयम एवं शुष्क दिवसों के संबंध में अन्य प्रावधान/प्रक्रिया/व्यवस्था पूर्व नीति के अनुरूप यथावत रखे जायेंगे।

इन निर्देशों को लागू किये जाने हेतु अधिनियम/नियम/आदेश में जो संशोधन अथवा नवीन निर्देश/आदेश/अधिसूचना जारी किये जाने अपेक्षित हो, उन अधिसूचनाओं/आदेशों के प्रारूप शीघ्र प्रेषित करने का श्रम करें।

आगामी बन्दोबस्त यथासम्भव दिनांक 31 मार्च, 2016 तक पूर्ण करा सूचना राज्य सरकार को प्रेषित कराने का श्रम करें।

(प्रवीण गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)
18/2/16.